पत्र संख्या-3/सी०एस०-902/94-978

बिहार सरकार,

मंत्रिमंडल सचिवालय ।

प्रेषक,

अ० कु० बसाक,

मुख्य सचिव, बिहार ।

सेवा में,

सरकार के सभी आयुक्त एवं सचिव

सरकार के सभी सचिव ।

पटना-15, दिनांक 18 मार्च, 1994

विषय :- पदाधिकारियों द्वारा राज्य के बाहर परिभ्रमण ।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में मेरी जानकारी में यह आया है कि मुख्य सचिव द्वारा इस विषय के संबंध में निर्गत पत्रांक 1050 दिनांक 7-6-90 (प्रतिलिपि संलग्न) में दिए गए निदेशों का अनुपालन नहीं किया जा रहा है तथा उक्त पत्र में दिए गए निदेशों के विपरीत पदाधिकारियों द्वारा राज्य के बाहर यात्राएं की जा रही हैं ।

2. सरकार द्वारा यह स्पष्ट निदेश दिया गया था कि विभाग के प्रधान सचिव/आयुक्त एवं सचिव/सचिव विभागीय मंत्री के अनुमोदनोपरान्त तथा मुख्य सचिव की पूर्वानुमति प्राप्त कर ही राज्य के बाहर के दौरे पर जायेंगे । इसी प्रकार अन्य विभागीय पदाधिकारी विभागीय सचिव के माध्यम से मुख्य सचिव का अनुमोदन प्राप्त कर ही राज्य के बाहर के दौरे पर जा सकेंगे । सभी पदाधिकारी यात्रा में प्रस्थान करने के पूर्व यात्रा कार्यक्रम परिचारित करेंगे जिसमें प्रस्थान/आगमन के स्थान/तिथि एवं भ्रमण पर सम्पर्क की सूचना उपलब्ध रहेगी । दिल्ली या राज्य के बाहर अन्य स्थान से लौटने पर प्रत्येक पदाधिकारी अपना यात्रा दैनन्दिनी यात्रा विपत्र के लिये तो तैयार करेंगे ही, साथ ही साथ यात्रा टिप्पणी भी तैयार कर अपने नियंत्रण पदाधिकारी एवं अन्य सम्बद्ध पदाधिकारियों को प्रेषित करेंगे । विभागीय सचिव अपनी यात्रा टिप्पणी विभागीय मंत्री को एवं विकास आयुक्त-सह-योजना परामर्शी को परियोजनाओं से संबंधित यात्रा टिप्पणियाँ भेजेंगे जिसे यथा आवश्यक वे मुंख्यमंत्री को अवलोकनार्थ भी प्रस्तुत कर सकते हैं ।

3. सरकार का यह भी निदेश था कि दिल्ली में आयोजित बैठकों में भाग लेने हेतु विभागीय सचिव यथासंभव अपने अधीनस्थ पदाधिकारियों को भेजें एवं अनिवार्य परिस्थितियों में ही स्वयं बैठक में भाग लेने के लिए जायें ।

4. उक्त परिपत्र के द्वारा बाहर यात्रा संबंधी प्रतिबंध भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों द्वारा आहूत सम्मेलन में भाग लेने या उच्च न्यायालय में उपस्थित होने की यात्राओं में लागू नहीं होने का निदेश है, लेकिन वैसे मामलों में भी विभागीय सचिव या आयुक्त एवं सचिव या प्रधान सचिव विभागीय मंत्री का अनुमोदन प्राप्त कर यात्रा कार्यक्रम परिचारित करते हुए दौरा पर जायेंगे एवं यात्रा के बाद एक टिप्पणी कंडिका-2 के अनुरूप प्रसारित करेंगे ।

5. आप सभी से अनुरोध है कि राज्य के बाहर परिभ्रमण करने के मामलों में इन निदेशों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाय ।

विश्वासभाजन,

ह०/-अ० कु० बसाक

मुख्य सचिव, बिहार ।